

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
कार्यालय आदेश

का० आदेश सं०-2/नि०-1-103/12-155

पटना, दिनांक- 01/08/16

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5267, दिनांक-01.08.2012 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियोजन हेतु अनुशंसित उम्मीदवार, जिन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आदेश संख्या-36, दिनांक-22.02.2014 के द्वारा एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजन किया गया था कि संविदा अवधि फरवरी 2015 में समाप्त हो गयी है तथा जिनका कार्य कलाप अच्छा रहा है एवं जिनके विरुद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है, को विभाग द्वारा द्वितीय पुनर्नियोजन हेतु पुनः एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया गया है, को रुपये 27,000/- (सताईस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह पारिश्रमिक पर एक वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 9 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	मेरिट क्रमांक	रोल न०	नाम	पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	आरक्षण कोटा	पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25 (सामान्य)	2851	श्री सुनील कुमार मौर्य	श्री भोला नाथ मौर्य ग्राम + पो०-पवोखर जिला-चन्दौली (यू०पी०) पिन-232101	चंदौली (यू०पी०)	25-10-1990	सामान्य	प्र०-सासाराम प्रशा०-डिहरी
2	40 (सामान्य)	2401	श्री प्रियरंजन	श्री शम्भू दूवे ग्राम-विशुनपुरा पो०-दामोदरपुर जिला-पूर्वी चम्पारण पिन-845416	पूर्वी चम्पारण	12/3/1991	सामान्य	प्र०-औरंगाबाद प्रशा०-देव
3	65 (सामान्य)	264	श्री आर०एस० श्री राज	श्री राम सेवक प्रसाद ग्राम-फतेहपुर पो०-बरोनी थाना-बलागंज जिला-गया (बिहार) पिन-232101	गया	4-11-1985	पिछड़ा वर्ग	प्र०-हिलसा प्रशा०-एकगरसराय
4	71 (सामान्य)	398	श्री रामजतन कुमार	श्री करिमन प्र० दादव ग्राम-नवटोलिया (विन्धवारा) थाना-कासिमबाजार पो० + जिला-मुंगेर	मुंगेर	10/5/1974	पिछड़ा वर्ग	प्र०-अररिया प्रशा०-पलासी
5	5 (बी०सी०-1)	793	मो० गुलाम गौस अंसारी	मो० खलीस अंसारी मो०-मोगलपुरा पो०-लालबाग थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा, बिहार पिन-846004	दरभंगा	4/8/1988	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	प्र०-सुपौल प्रशा०-राघोपुर
6	10 (बी०सी०-2)	1868	श्री विक्रान्त कौशिक	श्री बलदेव प्र० साहु ग्राम + पो०-कमरुदीनपुर भाया-उलाव जिला-बेगूसराय बिहार पिन-851134	बेगूसराय	4/1/1984	पिछड़ा वर्ग	प्र०-मधुबनी प्रशा०-झंझारपुर

2. यह नियोजन केवल कनीय अभियंता (असैनिक) के पद के लिए है।

3. नियोजित कनीय अभियंताओं को रुपये 27,000/- (सताईस हजार) मात्र प्रतिमाह एक मुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगी एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/राशि देय नहीं होगी।

4. उपरोक्त संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं को देय कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

6. सेवा स्थानान्तरीय नहीं होगी।

7. नियोजन की सेवा अवधि समाप्ति के पूर्व कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

8. पन्द्रह दिन के अन्दर योगदान नहीं देने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

9. पद ग्रहण के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं से बिहार लोक निर्माण संहिता एवं तकनीकी परीक्षण कोषांग तथा विभाग से समय-समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों के आलोक में कार्य लिया जायेगा। परंतु इन्हें कोई वित्तीय एवं स्टोर का प्रभार नहीं दिया जायेगा।

11. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की शर्त मान्य होगी। नियोजित कनीय अभियंता द्वारा एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

12. योगदान के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-103/12-...143...

दिनांक- 01/08/16

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अर्धक्षेत्र अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योगदान के समय सभी नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) से उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

3. अनुरोध है कि कनीय अभियंताओं का योगदान प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करावें ताकि इनका पारिश्रमिक शीघ्रताशीघ्र भेजा जा सके।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-103/12-...143...

दिनांक- 01/08/16

प्रतिलिपि:- सभी नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्देश दिया जाता है कि योगदान के समय असैनिक-सह-शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-103/12-...143...

दिनांक- 01/08/16

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-103/12-...143...

दिनांक- 01/08/16

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख -सह-विशेष सचिव/प्रशाखा-4 (बजट शाखा) एवं लेखा शाखा (दो प्रति में)/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)